रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022021-225432 CG-DL-E-24022021-225432

# असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 22, 2021/फाल्गुन 3, 1942 NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 22, 2021/PHALGUNA 3, 1942

No. 88]

# इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय)

# अधिसूचना

नई दिल्ली , 18 फरवरी 2021

सा.का.नि. 129(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (समूह "ख" पदों) भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है। इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में समूह 'ख 'के पदों की भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्न्लिखित [विधि को विनियमित करने के लिए निम्न्लिखित नियम बनाते हैं अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (समूह' ख'पद, भर्ती नियम,2020 है।
- (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगें।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमो से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा , अर्हताये आदि भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बंधित अन्य बाते वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं 4. निर्रहता - वह व्यक्ति -
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है या

1098 GI/2021 (1)

- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षाकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगी ।
- 5. शिथिल करने की शक्ति जहां केंद्र-सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहा वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा सिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति : इन नियमो की कोई बात, ऐसे आरक्षणो आयु-सीमा मे छूट और अन्य रियाय्तो पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस सम्बंध मे समय-समय पर ज़ारी किये गये आदेशो के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिको और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियो के लिये उपबंध करना अपेशित है।

# अनुसूची

पद का	पदों की	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन/	सीधी भर्ती किये	सीधी भर्ती किये
नाम	संख्या		स्तर	अचयन	जाने वाले	जाने वाले व्यक्तियो के
			•		व्यक्तियो के लिए	लिए अपेक्षित शैक्षिक
					आयु-सीमा	व अन्य अर्हताएं
					•	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	07 (2020)	साधारण केंद्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स में	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
प्रशासनिक	*कार्य भार	समूह 'ख' राजपत्रित	स्तर-9			
अधिकारी	के आधार पर	अनुसचिवीय				
	परिवर्तन		(53100-			
	किया जा		167800/-रु.)			
	सकता है					
	-					

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियो की दशा में लागू होगी।	अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियो की प्रतिशतता	/आमेलन की दशा में	समिति है, तो उसकी	भर्ती करने में किन परिस्थितियो में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा ।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (ii) सशस्त्र बल कार्मिक के लिये प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900- 1,42,400/-रु.) मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय में ऐसे अनुभाग अधिकारी जिन्होने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-	समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिये) जिंसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे	लागू नहीं होता

1,42,400/-रु. (श्रेणी 7) मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय में उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो या निजी सचिव के पद पर वेतन मैटिक्स के श्रेणी 7 (44900-1,42,400/-रु. में मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय की प्रयोगशालाओ/केंद्रो पांच वर्ष की नियमित सेवा तथा निजी सचिव जिन्होने दो वर्ष के अवधि के लिये प्रशासन अनुभाग में कार्य किया हो और अनुभाग अधिकारी का कार्य किया (प्रयोगशाला/केंद्र के निदेशक द्वारा सत्यापित) टिप्पण: प्रोन्नति के अनुभाग अधिकारी और योग्य निजी सचिवो की संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जायेगी जिन्हे प्रशासन के कार्य का दो वर्ष का अनुभव प्राप्त है (प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा सत्यापित) और वरिष्ठता नियमित सेवा उपर्युक्त ग्रेड मै आने सै मानी जायेगी। टिप्पण 2 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में, जिन्होने अपनी अर्हक पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रौन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों कई सम्बंध में भी विचार किया जाएगा परंतु

मापगुप्रनिदेशालय, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

#### -अध्यक्ष

 संयुक्त निदेशक या समकक्ष अधिकारी मापगुप्र निदेशालय, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

# -सदस्य 3. इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से एक अवर सचिव या उपनिदेशक -सदस्य

समूह ९ खं विभागीय पृष्टिकरण सिमिति (पृष्टिकरण पर विचार करने के लिये) जिंसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे

1.वैज्ञानिक एफ , मापगुप्रनिदेशालय, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

## -अध्यक्ष

2. संयुक्त निदेशक या समकक्ष अधिकारी मापगुप्र निदेशालय, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

## -सदस्य

3. इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियो सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रौन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिकारी (i)मूल कैडर में नियमित आधार पर सद्गश पद पर हो (ii) श्रेणी 8 के (47600-151100/-रु.) के वेतन मान पर दो वर्ष की नियमित सेवा की हो (iii) श्रेणी 7 के (44900-142400/-रु.) के वेतन मान पर दो वर्ष की नियमित सेवा और (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री टिप्पण 1 विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के योग्य नहीं होंगे । इसी प्रातिनियुक्त प्रकार प्रोन्नति पर भर्ती पर विचार के योग्य नहीं होंगे । टिप्पण 2 : किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित अवधि की अवधि तुरंत ही

निदेशालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से एक अवर सचिव या उपनिदेशक -सदस्य

		•
	केंद्र सरकार के उसी	
	या अन्य संगठन या	
	विभाग में इस नियुक्ति	
	से पहले नहीं होगी जो	
	आमतौर पर तीन वर्ष	
	से अधिक नहीं होगी	
	टिप्पण 3 :	
	प्रतिनियुक्ति पर	
	नियुक्ति के लिये	
	अधिकतम आयु सीमा	
	आवेदन की अंतिम	
	तिथि तक 56 वर्ष से	
	अधिक नहीं होगी	
	सशस्त्र बल कार्मिक के	
	लिये प्रतिनियुक्ति या	
	पुंर्नियोजन : सशस्त्र	
	बल कार्मिक के ऐसे	
	कार्मिको के सम्बंध में	
	विचार किया	
	जाएगा, जो एक वर्ष	
	की अवधि के भीतर	
	सेवानिव्रुत होने वाले	
	हैं या रिजर्व में	
	स्थानांतरित किये	
	जाने वाले हैं और	
	जिनके पास अपेक्षित	
	अनुभव और निहित	
	अर्हताएं हैं । ऐसे	
	व्यक्तियो को उस	
	तारीख तक	
	प्रतिनियुक्ति के निर्वंध्नो	
	पर रखा जाएगा जिस	
	तारीख से उन्हेन	
	सशस्त्र बल से नियुक्त	
	किया जाता है,	
	तत्पश्चात उहे	
	तत्पश्चात उह पुनर्नियोजन पर बने	
	पुनानयाजन पर बन रहने दिया जा सकता	
	है।	
 l		i e

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 अनुभाग अधिकारी	04 * (2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में (रु. 44900- 142400 रु.) श्रेणी 7	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8	)	(9	)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू		लागू	<u>.</u> नहीं		प्रोन्नत <u>ि</u>		लागू नहीं होता
होता		होता	4.	i) प्रोनति द्वारा न होने	वेतन मैट्रिक्स के	समूह 'ख' विभागीय	<i>e</i>
		-		पर प्रतिनियुक्ति	श्रेणी 6 (35400 -	प्रोन्नति समिति प्रोन्नति पर	
				(ii) सशस्त्र बल के	112400/-रु.) में		
				कार्मिको के लिए	ऐसे सहायक		
				प्रतिनियुक्ति/पुन:नियोजन	अनुभाग अधिकारी		
					जिन्होने पांच		
					वर्ष की नियमित	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना	
					सेवा की हो।	प्रौद्योगिकी मंत्रालय -	
					टिप्पण :जहाँ ऐसे		
					कनिष्ठ व्यक्तियो के		
					सम्बंध में,	निदेशक या समतुल्य,	
					जिन्होने अपनी		
					अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली		
					है, प्रौन्नति के		
					लिये विचार किया		
					जा रहा हो, वहाँ		
					उनके ज्येष्ठ		
					व्यक्तियो के सम्बंध	मंत्रालय से भिन्न किसी	
					में भी विचार	मंत्रालय या विभाग से	
					किया जाएगा	_	
					परंतु यह तब जब	निदेशक -सदस्य।	
					कि उसके द्वारा की		
					गई ऐसी अपेक्षित		
					अर्हक या पात्रता	करने के लिये निम्नलिखित	
					सेवा, के आधे से		
					अधिक से या दो	-	
					वर्ष से, इनमें से		
					जो भी कम हो,		
					कम न हो और उन्होने अपने ऐसे		
						अध्यक्ष <i>;</i> 2. संयुक्त निदेशक / उप	
					सहित, जिन्होने		
					ऐसी अर्हक या		
					पात्रता सेवा पहले		
					ही पूरी कर ली		
					है, अगली		
					उच्चतर श्रेणी में	3. एसटीक्यूसी	
					प्रौन्नति के लिए	निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी	
					अपनी परिवीक्षा	और सूचना प्रौद्योगिकी	
					की अवधि		
					सफलतापूर्वक पूरी	मंत्रालय या विभाग से	
					कर ली हो	अवर सचिव या उप	
					ਸ਼ <u>ਰਿਕਿਸ਼ਵ</u> ਿ	निदेशक -सदस्य।	
					प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार		
					अथवा राज्य		
					सरकार के		
					अधिकारी		
					(क) (i)सदृश		
					कैडर में नियमित		

आधार अनुरु.प पद पर हो (ii) श्रेणी 8 के (47600-151100/- रु.) के वेतन् मान पर दो वर्ष की नियमित सेवा की हो (iii) श्रेणी 6 के (35400-112400/-रु.) वेतन् मान पर पांच वर्ष की नियमित सेवा और टिप्पणी 1 : विभागीय अधिकारी जो प्रौन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियक्ति के योग्य नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रातिनियुक्त प्रौन्नति पर भर्ती पर विचार के योग्य नहीं होंगे। टिप्पण 2 : किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित अवधि की अवधि त्रंत ही केंद्र सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से पहले नहीं होगी जो आमतौर पर तीन साल से अधिक नहीं होगी टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी सशस्त्र बल कार्मिक के लिये प्रतिनियुक्ति या

	पुंर्नियोजन :	
	सशस्त्र बल	
	कार्मिक के ऐसे	
	कार्मिको के सम्बंध	
	में विचार किया	
	जाएगा, जो एक	
	वर्ष की अवधि के	
	भीतर सेवानिव्रुत	
	होने वाले हैं या	
	रिजर्व में	
	स्थानांतरित किये	
	जाने वाले हैं और	
	जिनके पास	
	अपेक्षित अनुभव	
	और निहित	
	अर्हताये हैं । ऐसे	
	व्यक्तियो को उस	
	तारीख तक	
	प्रतिनियुक्ति के	
	निर्वंध्रो पर रखा	
	जाएगा जिस	
	तारीख से उन्हेन	
	सशस्त्र बल से	
	नियुक्त किया	
	नियुक्त किया जाता है, तत्पश्चात उहे	
	तत्पश्चात उहे	
	पुनर्नियोजन पर	
	बने रहने दिया जा	
	सकता है ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. निजी	10*2020)	साधारण केंद्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स में	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं
सचिव	*कार्यभार के	समूह 'ख राजपत्रित '	स्तर -7		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	होता
	आधार पर	अनुसचिवीय	(44900 -			
	परिवर्तन		1,42,400/-			
	किया जा		₹.)			
	सकता है					

(8	)	(9	)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू होता	नहीं	लागू होता	नहीं	(i) प्रोनित द्वारा न होने पर प्रतिनियुक्ति (ii) सशस्त्र बल के कार्मिको के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनःनियोजन	प्रोन्नति वेतन मैट्रिक्स के श्रेणी 6 (35400- 112400/-रु.) में ऐसे सहायक अनुभाग अधिकारी जिन्होने पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण :जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियो के सम्बंध में, जिन्होने अपनी	निम्नलिखित सम्मिलित हैं  1. वैज्ञानिक एफ ', एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय – अध्यक्ष  2. संयुक्त निदेशक या/ उप निदेशक या समतुल्य, एसटीक्यसी निदेशालय.	लागू नहीं होता

अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रौन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियो के सम्बंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की सेवा, के आधे से जो भी कम हो, सहित, जिन्होने ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रौन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अधिकारी (क) (i)समान कैडर में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर हो (ii) श्रेणी 8 के (47600 -151100/- रु.) के वेतन मान पर दो वर्ष की नियमित सेवा (iii) श्रेणी 6 के (35400-112400/-रु.) वेतन् मान पर पांच वर्ष की नियमित सेवा और

प्रौद्योगिकी मंत्रालय, एसटीक्यूसी निदेशालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव या उप निदेशक -सदस्य।

समूह ख 'विभागीय पुष्टिकरण समिति पुष्टि पर विचार करने के लिये निम्नलिखित सम्मिलित है:

कि उसके द्वारा की गई ऐसी अपेक्षित एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष; अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से निदेशक या समतुल्य , जो भी कम हो, कम न हो और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य; उन्होने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियो सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक या प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य; उ. एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न प्रौद्योगिकी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव या उप निदेशक हो, अगली -सदस्य।

टिप्पण 1 : विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियक्ति के योग्य नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रातिनियुक्त प्रौन्नति पर भर्ती पर विचार के योग्य नहीं होंगे। टिप्पण 2 : किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियक्ति की अवधि सहित अवधि की अवधि तुरंत ही केंद्र सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से पहले नहीं होगी जो आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियक्ति के लिये अधिकतम आय् सीमा आवेदन की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी सशस्त्र बल कार्मिक के लिये प्रतिनियुक्ति या पुंर्नियोजन सशस्त्र बल कार्मिक के ऐसे कार्मिको के सम्बंध में विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किये जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और निहित अर्हताएं हैं । ऐसे

	व्यक्तियों को उस	
	तारीख तक	
	तारीख तक प्रतिनियुक्ति के	
	निर्वंध्नो पर रखा	
	जाएगा जिस	
	तारीख से उन्हें	
	सशस्त्र बल से	
	नियुक्त किया	
	जाता है,	
	जाता ह,	
	तत्पश्चात उन्हें	
	पुनर्नियोजन पर	
	बने रहने दिया जा	
	सकता है ।	
	11.111 6 1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. सहायक	57 *	साधारण केंद्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स में	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं
अनुभाग	(2020)	समूह 'ख'	स्तर 6			होता
अधिकारी	*कार्य भार	अराजपत्रित,	(35400 –			
	के आधार पर	अनुसचिवीय	1,12,400/			
	परिवर्तन		₹.)			
	किया जा					
	सकता है ।					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	(i) प्रोनित द्वारा न होने पर प्रतिनियुक्ति (ii) सशस्त्र बल के कार्मिको के लिए प्रतिनियुक्ति/पुन:नियोजन याआमेलन द्वारा	प्रोप्ति : वेतन मैट्रिक्स के श्रेणी 4 (25500 81100/-रु.) में ऐसे वरिष्ठ सचिवीय सहायक जिन्होने एसटीक्यूसी निदेशाल्य की प्रयोगशाला/केंद्र में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण :जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियो के सम्बंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियो के सम्बंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की	विचार करने के लिये निम्नलिखित सम्मिलित हैं  1. वैज्ञानिक एफ ', एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -अध्यक्ष;  2. संयुक्त निदेशक / उप निदेशक या समतुल्य इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समकक्ष एसटीक्यूसी निदेशालय -सदस्य;  3. एसटीक्यूसीनिदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न	लागू नहीं होता।

अर्हक या पात्रता एसटीक्युसी वर्ष से, इनमे से अध्यक्ष; जो भी कम हो, उन्होने अपने ऐसे एसटीक्यूसी कनिष्ठ व्यक्तियो सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक या है, अगली प्रौन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार अथवा राज्य के सरकार अधिकारी (क) (i)सदुश कैडर में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर हो (ii) श्रेणी 4 के (25500-81100/-रु.) के वेतन मान पर दस वर्ष की नियमित सेवा की हो टिप्पण 1 : विभागीय अधिकारी जो प्रौन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के योग्य नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रातिनियुक्त प्रौन्नति पर भर्ती पर विचार के योग्य नहीं होंगे। टिप्पण 2 : किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित अवधि की अवधि

- गई ऐसी अपेक्षित 1. वैज्ञानिक एफ़ ′, निदेशालय, सेवा, के आधे से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना अधिक से या दो | प्रौद्योगिकी मंत्रालय -2. संयुक्त निदेशक उप / कम न हो और निदेशक यासमतुल्य , निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य;
- पात्रता सेवा पहले 3. एसटीक्यूसी निदेशालय, ही पूरी कर ली इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न उच्चतर श्रेणी में किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव या शकउप निदे –सदस्य।

	•
तुरंत ही केंद्र	
सरकार के उसी	
या अन्य संगठन	
या विभाग में इस	
नियुक्ति से पहले	
नहीं होगी जो	
आमतौर पर तीन	
साल से अधिक	
नहीं होगी	
टिप्पण 3 :	
प्रतिनियुक्ति पर	
नियुक्ति के लिये	
अधिकतम आयु	
सीमा आवेदन की	
अंतिम तिथि तक	
56 वर्ष से अधिक	
नहीं होगी	
<sub>महा</sub> हागा सशस्त्र बल	
कार्मिक के लिये	
प्रतिनियुक्ति या	
पुंर्नियोजन :	
सशस्त्र बल	
कार्मिक के ऐसे	
कार्मिको के सम्बंध	
में विचार किया	
जाएगा, जो एक	
वर्ष की अवधि के	
भीतर सेवानिव्रुत	
होने वाले हैं या	
रिजर्व में	
स्थानांतरित किये	
जाने वाले हैं और	
जिनके पास	
अपेक्षित अनुभव	
और निहित	
अर्हताये हैं । ऐसे	
व्यक्तियों को उस	
तारीख तक	
प्रतिनियुक्ति के	
निर्वंधों पर रखा	
जाएगा जिस	
तारीख से उन्हें	
सशस्त्र बल से	
रासास्त्र अल स	
नियुक्त किया	
जाता है,	
तत्पश्चात उहे	
पुनर्नियोंजन पर	
बने रहने दिया जा	
सकता है ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. निजी	16* (2020)	साधारण केंद्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स में		लागू नहीं होता	लागू नहीं
सहायक	*कार्यभार के	समूह ग अराजपत्रित	स्तर 6	चयन		होता
	आधार पर	अनुसचिवीय	(354000 -			
	परिवर्तन किया		1,12,400/-			
	जा सकता है		रु.) .			

-			1	,	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता		(10) (i) प्रोनित द्वारा न होने पर प्रतिनियुक्ति (ii) सशस्त्र बल के कार्मिको के लिए प्रतिनियुक्ति/पुन:नियोजन	प्रोन्नति वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500- 81100/- रु.) मैं ऐसे आशुलिपिक जिन्होने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रौन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों कई सम्बंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रौन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति पर विचार करने के लिये निम्नलिखित सम्मिलित हैं 1. वैज्ञानिक एफ ', एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. संयुक्त निदेशक उप / या निदेशकसमतुल्य, एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य; 3. एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव या उप निदेशक -सदस्य।	लागू नहीं

सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी -(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदों पर धारण करने वालों में से; या (ii) वेतन मैट्क्सि के स्तर 4 (25,5000-81,100/-रु.) में ऐसे आशुलिपिक जिन्होने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की टिप्पण 1: पोषक ऐसे प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पँक्ति मै हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके केंद्रीय अंतर्गत सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की है अवधि साधारणतया 3

1		
	वर्ष से अधिक नहीं	
	होगी	
	होगी <b>टिप्पण 3</b> :	
	प्रतिनियुक्ति द्वारा	
	नियुक्ति के लिये	
	अधिकतम आयु	
	सीमा आवेदन	
	प्राप्त करने की	
	अंतिम तारीख को	
	56 वर्ष से अधिक	
	नहीं होगी	
	सशस्त्र बल	
	कार्मिक के लिये	
	प्रतिनियुक्ति या	
	पुंर्नियोजन :	
	सशस्त्र बल	
	कार्मिक के ऐसे	
	कार्मिको के सम्बंध	
	में विचार किया	
	जाएगा, जो एक	
	वर्ष की अवधि के	
	भीतर सेवानिव्रुत	
	होने वाले हैं या	
	रिजर्व में	
	स्थानांतरित किये	
	जाने वाले हैं और	
	जिनके पास	
	अपेक्षित अनुभव	
	और निहित	
	अर्हताये हैं । ऐसे	
	व्यक्तियो को उस	
	तारीख तक	
	प्रतिनियुक्ति के	
	निर्वंध्नो पर रखा	
	जाएगा जिस	
	तारीख से उन्हेन	
	सशस्त्र बल से	
	नियुक्त किया	
	जाता है, तत्पश्चात उहे	
	तत्पश्चात उहे	
	पुनर्नियोजन पर	
	बने रहने दिया जा	
	सकता है	
1	1111116	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.कनिष्ठ	06* (2020)	साधारण केंद्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स में	लागू	केंद्रीय सरकार द्वारा	किसी मान्यताप्राप्त
हिन्दी	*कार्यभार के	समूह 'ख' अ-	स्तर 6	नहीं	समय –समय पर	विश्वविद्यालय से
अनुवादक	आधार पर	जपत्रितरा	(35400	होता	जारी किये गए	हिंदी में मास्टर डिग्री
	परिवर्तन किया	अनुसचिवीय	1,12,400/-		अनुदेशों के अनुसार	जिसमें डिग्री स्तर पर
	जा सकता है	3	₹.).		सरकारी सेवकों के	अंग्रेजी अनिवार्य या
					लिए पांच वर्ष तक	वैकल्पिक विषय के
					शिथिल किया जा	रूप में रहा हो या
					सकता है ।	परीक्षा के माध्यम के

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये अंतिम तारीख होगी (न कि वह तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, काश्मीर राज्य, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की पंगी उपखण्ड अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

रूप में रहा हो ; या किसी मान्यताप्राप्त विश्विद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो ;या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो ;या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहे हों या इन दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक के रूप में रहा हो और हिंदी से अंग्रेजी में

और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों के कार्यालयों में, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का दो वर्ष का अनुभव हो । टिप्पण 1 -अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेख्बद्ध किये जाए कर्म्चारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । टिप्पण 2 -अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेख्बद्ध किये जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त

			संख्या में उपलब्ध
			होने की सम्भावना
			नहीं है ।

					ु। ह ।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नह		सीधी भर्ती न होने पर	प्रतिनियुक्ति:	समूह ख ′विभागीय पुष्टिकरण	
होता		प्रतिनियुक्ति द्वारा	(क) (i)	समिति पृष्टि पर विचार करने	
<i>Q</i>			सदृश कैडर में	के लिये निम्नलिखित सम्मिलित	
			नियमित आधार	है :	
			पर अनुरूप पद		
			पर हो	एसटीक्यूसी निदेशालय,	
			(ii) श्रेणी 5 के	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना	
			(29200-92300/-	प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष :	
			रु.) के वेतन् मान	2. संयुक्त निदेशक / उप	
			पर 6 वर्ष की	निदेशक या समतुल्य ,	
			नियमित सेवा की	एसटीक्यूसी निदेशालय,	
			और	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना	
			(ख) स्तम्भ	प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य:	
			7 मैं दी गई	3. एसटीक्यूसी निदेशालय,	
			सीधी भर्ती , के	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना	
			लिये अर्हता व	Alaman and a lan	
			अनुभव	किसी मंत्रालय या विभाग से	
			टिप्पण 1 :		
			किसी अन्य पूर्व- कैडर पद पर	-सदस्य।	
			प्रतिनियुक्ति की		
			अवधि सहित		
			अवधि की अवधि		
			तुरंत ही केंद्र		
			सरकार के उसी		
			या अन्य संगठन		
			या विभाग में इस		
			नियुक्ति से पहले		
			नहीं होगी जो		
			साधारणतया		
			तीन साल से		
			अधिक नहीं होगी		
			टिप्पण 2 :		
			प्रतिनियुक्ति पर		
			नियुक्ति के लिये		
			अधिकतम् आयु		
			सीमा आवेदन की		
			अंतिम तारीख तक		
			56 वर्ष से अधिक		
			नहीं होगी		
			सशस्त्र बल		
			कार्मिक के लिये		
			प्रतिनियुक्ति या		
			पुंर्नियोजन : सशस्त्र बल		
			सशस्त्र बल कार्मिक के ऐसे		
			कार्मिको के सम्बंध		
			में विचार किया		
			न । ययार । कथा	<u> </u>	

	जाएगा, जो एक	
	वर्ष की अवधि के	
	भीतर सेवानिब्रुत	
	होने वाले हैं या	
	रिजर्व में	
	स्थानांतरित किये	
	जाने वाले हैं और	
	जिनके पास	
	अपेक्षित अनुभव	
	और निहित	
	अर्हताये हैं । ऐसे	
	व्यक्तियो को उस	
	तारीख तक	
	प्रतिनियुक्ति के	
	निर्वंध्नो पर रखा	
	जाएगा जिस	
	तारीख से उन्हेन	
	सशस्त्र बल से	
	नियुक्त किया	
	जाता है,	
	नियुक्त किया जाता है, तत्पश्चात उहे	
	पुनर्नियोजन पर	
	बने रहने दिया जा	
	सकता है।	
<u> </u>		

(1)	(2)	(	(3)		(4	.)	(5)	(6)	(7)
(1) 7.पुस्तकालय और सूचना सहायक	(2) 02 * (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।		केंद्रीय	सेवा <b>`</b> ख ′	वेतन मै		(5) लागू नहीं होता	कंद्रीय सरकार द्वारा समय -समय पर जारी किये गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल किया जा सकता है । टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये अंतिम तारीख होगी (न कि वह तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, काश्मीर राज्य, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले	आवश्यक (इ) किसी मान्यटा प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि (ई) किसी केंद्रीय / राज्य सरकार / स्वायत्त या वैधानिक /विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था में दो वर्ष का अनुभव

		अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।	द्वारा छूट दी जा सकती है।  टिप्पण 2: अनुभव के संबंध में योग्यता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग सक्षम
			सकती है यदि चयन के अंतिम चरण में, तत्कालीन प्राधिकारी का विचार है कि इन समुदायों के लिए पर्याप्त संख्या में अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी नहीं हैं

(8)		(9		(10)	(11)	(12)	(13)
होता	नहीं	होता	नहीं	i) प्रोनित द्वारा न होने पर प्रतिनियुक्ति (ii) सशस्त्र बल के कार्मिको के लिए पुंर्नियोजन रोजगार की: प्रतिनियुक्ति याआमेलन द्वारा	प्रतिनियुक्तिः (i) समान कैडर में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर हो (ii) श्रेणी 5 के (29200-92300/- रु.) के वेतन् मान पर 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो और (क) स्तम्भ 7 मैं दी गई सीधी भर्ती के लिये अर्हता और अनुभव रखते हैं  टिप्पण 1 : किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित अवधि की अवधि तुरंत ही केंद्रीय सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से पहले नहीं होगी जो आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी	समूह ख 'विभागीय पृष्टि समिति पृष्टि पर विचार करने के लिये निम्नलिखित सम्मिलित है:  1. वैज्ञानिक एफ ', एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष;  2. संयुक्त निदेशक उप / निदेशक यासमतुल्य , एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य;  3. एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिवउप निदेशक / -सदस्य।	लागू नहीं होता

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन की अंतिम तिथि तक
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन की अंतिम तिथि तक
नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन की अंतिम तिथि तक
अधिकतम आयु सीमा आवेदन की अंतिम तिथि तक
सीमा आवेदन की अंतिम तिथि तक
अंतिम तिथि तक
1
56 <b>वर्ष</b> से अधिक
नहीं होगी
सशस्त्र बल कार्मिक
के लिये प्रतिनियुक्ति
या पुंर्नियोजन :
सशस्त्र बल कार्मिक
के ऐसे कार्मिको के
सम्बंध में विचार
किया जाएगा, जो
एक वर्ष की अवधि
के भीतर सेवानिव्रुत
होने वाले हैं या
रिजर्व में
स्थानांतरित किये
जाने वाले हैं और
जिनके पास अपेक्षित
अनुभव और निहित
अर्हताये हैं । ऐसे
व्यक्तियो को उस
तारीख तक
प्रतिनियुक्ति के
निर्वंध्रो पर रखा
जाएगा जिस तारीख
से उन्हेन सशस्त्र बल
से नियुक्त किया
जाता है, तत्पश्चात
उहे पुनर्नियोजन पर
बने रहने दिया जा
सकता है।

[फा. सं. 2(6)/2018-पी ए (टीबी)] अरविंद कुमार,महानिदेशक, एसटीक्यूसी निदेशालय

#### MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

## (Standardisation Testing and Quality Certification Directorate)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2021

- G.S.R 129(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2001 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' posts in the Standardisation Testing and Certification Directorate Ministry of Electronics and Information Technology, namely:-
- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. Disqualification.— No person, -
  - (i) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in, writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## **SCHEDULE**

Name of the Post.	Number of	Classification.	Level in pay	Whether	Age limit for	Educational &
	Post.		matrix.	Selection	direct	other
				Post or	recruits.	Qualifications
				Non		required for
				Selection		Direct Recruits.
				Post.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Administrative Officer	07* (2020)	General	Level-9 in	Selection.	Not	Not applicable.
	*Subject to	Central	the pay		applicable.	
	variation	Service	matrix (Rs.			
	dependent on	Group 'B',	53,100 -			
	workload.	Gazetted,	1,67,800).			

Whether age	Period of	Method of	In case of Recruitment by	If a Departmental Promotion	Circumstances
and	Probation,	recruitment:	promotion or deputation/	Committee exists, what is its	in which
educational	if any	Whether by	absorption and grades	composition.	Union Public
qualifications		Direct	from which promotion or		Service
prescribed for		Recruitment or	deputation/ absorption to		Commission
Direct Recruits		by promotion or	be made.		is to be
will apply in		by Deputation/			consulted in
the case of		absorption and			making
promotees.		percentage of			recruitment.
		the vacancies to			
		be filled by			
		various			
		methods.			

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not	(i) Promotion	Promotion:	Group 'B' Departmental	Not
	applicable.	failing which by deputation	Section Officer in level-7	Promotion Committee (for considering promotion)	applicable.
		(ii) For Armed	in the pay matrix	consisting of:	
		Forces personnel	(Rs.44,900-1,42,400) in		
		:	Laboratories/Centres under	(1) Scientist 'F', STQC	
		Deputation/re- employment	Standardisation Testing and Quality Certification	Directorate, M/o Electronics and Information Technology	
		employment	Directorate with three	-Chairman;	
			years regular of service or		
			Private Secretary in Level-	(2) The Joint Director or	
			7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix in	equivalent level Officer, STQC Directorate, M/o Electronics	
			Standardisation, Testing	and Information Technology	
			and Quality Certification	-Member;	
			Laboratories /Centres with five years of regular	(3) The Under	
			service:	Secretary/Deputy Director	
			provided that Private	from a Ministry or a	
			Secretaries who have	Department other than STQC	
			worked in the Administration Section	Directorate -Member.	
			for a period of two years	-ivicinoci.	
			and discharged the duties		
			of Section Officer (to be certified by the Lab or	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for	
			Centre Director)	considering confirmation)	
			,	consisting of:	
			Note 1: For promotion, a	(1) 0 : .:	
			combined seniority list of Section Officers and	(1) Scientist 'F', STQC Directorate, M/o Electronics	
			eligible Private Secretaries	and Information Technology	
			who have worked in the	-Chairman;	
			Administration for a	(2) The Litter District	
			period of two years (and certified by the concerned	(2) The Joint Director or equivalent level Officer, STQC	
			lab Director) shall be	Directorate, M/o Electronics	
			prepared and the seniority	and Information Technology	
			shall be determined from the date of their joining the	-Member;	
			regular service in their	(3) The Under	
			respective grades.	Secretary/Deputy Director	
			Note 2. Whome innions who	from a Ministry or a	
			Note 2: Where juniors who have completed their	Department other than STQC Directorate	
			qualifying or eligibility	-Member.	
			service are being		
			considered for promotion, their seniors would also be		
			considered provided they		
			are not short of the		
			requisite qualifying or eligibility service by more		
			than half of such		
			qualifying or eligibility		
			service or two years,		
			whichever is less, and have successfully completed		
			probation period for		
			promotion to the next		
			higher grade along with		
			their juniors who have already completed such		
			qualifying or eligibility		
			service.		
			Deputation:		
			Officer of the Central		
	<u> </u>		Officer of the Central		

Government or State Government-(a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre Department; or (ii) with two years regular service in the posts in the Level 8 in the pay matrix of Rs.47600-151100; or (iii) with three years regular service in the post in Level 7 in the pay matrix in Rs. 44900 -142400; and (b) Possessing Bachelor's degree from a recognised University. **Note 1:** The Departmental Officers who are in the direct line of promotion shall not be eligible for for appointment deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration appointment promotion. Note 2: The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application. For Armed Forces personnel: Deputation / re-employment: Armed personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from Armed Forces, the thereafter they may be continued on employment.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Section Officer	04* (2020)	General Central	Level-7 in the pay	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
	*Subject	Service Group	matrix Rs. 44900 -			
	to	'B', Gazetted,	142400.			
	variation	Ministerial.				
	dependent					
	on					
	workload.					

organisation /department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.  Note 3: The maximum age
limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.
For Armed Forces personnel : Deputation/re-employment
The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of
one year and having requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered.
Such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed
Forces, thereafter they may be continued on reemployment.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<ol><li>Private</li></ol>	10* (2020)	General Central	Level-7 in the	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
Secretary	*Subject	Service, Group	pay matrix (Rs.			
	to	'B' Gazetted,	44,900-1,42,400)			
	variation,	Ministerial.				
	dependent					
	on					
	workload					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	(i) Promotion	Promotion:	Group 'B' Departmental	Not
applicable.	applicable	failing which	Personal Assistant in level-6	Promotion Committee (for	applicable.
		by deputation;	in the pay matrix Rs.35400-	considering promotion) consisting	
			112400 in Laboratories/	of:	
		(ii) For Armed	Centres under		
		Forces	Standardisation Testing and	1. Scientist 'F', STQC	
		personnel:	Quality Certification	Directorate, M/o Electronics and	
		Deputation/re-	Directorate with five years of	Information Technology –	
		employment	regular service in the grade.	Chairman;	
			<b>Note:</b> Where juniors who	1. The Joint Director or	
			have completed their	•	
			qualifying or eligibility	Directorate, M/o Electronics and	
			service are being considered	Information Technology –	
			for promotion, their seniors	Member;	
			would also be considered		
			provided they are not short of		
			the requisite qualifying or	Director from a Ministry or a	
			eligibility service by more	Department other than STQC	
			than half of such qualifying	Directorate – Member	
			or eligibility service or two		
			years, whichever is less, and	Group 'B' Departmental	
			have successfully completed	Confirmation Committee (for	
			probation period for	considering confirmation)	
			promotion to the next higher	consisting of:	

grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

#### **Deputation:**

Officers of the Central Government or State Government

- (i) Holding analogous post on regular basis; or
- (ii) Personal Assistant in Level 6 in Pay Matrix (Rs. 35400-112400) with five years of regular service in the grade or equivalent in the parent cadre or department;
- Note 1: The Departmental Officers who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- Note 2: The Period of deputation including period of deputation in another excadre post immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

**Note 3:** The maximum age limit for appointment on deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

For Armed Forces personnel: Deputation/re-employment

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on reemployment.

(1) Scientist 'F', STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology

-Chairman:

(2) The Joint Director or equivalent level Officer, STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology

-Member:

(3) The Under Secretary/Deputy Director from a Ministry or a Department other than STQC Directorate

-Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.Assistant Section Officer	57* (2020) *Subject to variation dependent on	General Central Service Group 'B', Non Gazetted, Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
	workload.	Willisterial.				

	(0)	(10)	(44)	T (10)	(10)
	` /	\ /	( )	( )	
(8) Not applicable.	(9) Two Years.	(10) (i) Promotion failing which by deputation; and (ii) For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment	(11)  Promotion:  Senior Secretarial Assistant in Level-4 in the pay matrix Rs.25500-81100 in Laboratories/Centres under Standardisation Testing and Quality Certification Directorate with ten years of regular service in the grade.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation:  Officers of the Central Government or State Government— (i)holding analogous post on regular basis; or (ii) Senior Secretarial Assistant in level 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) with ten years of regular service in the grade.  Note 1: The Departmental Officers who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.  Note 2: Period of deputation	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:  1. Scientist 'F', STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology  -Chairman;  2. The Joint Director or equivalent level officer of STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology  -Member;  3. The Under Secretary/Deputy Director from a Ministry or a Department other than STQC Directorate.  -Member.  Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:  (1) Scientist 'F', STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology  -Chairman;  (2) The Joint Director or equivalent level Officer, STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology  -Member;  (3) The Under Secretary/Deputy Director from a Ministry or a Department other than STQC Directorate  -Member.	(13) Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.Personal	16* (2020)	General Central	Level-6 in the	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
Assistant	*Subject to	Service	pay matrix (Rs.			
	variation,	Group 'B'	35,400 -			
	dependent	Non-Gazetted	1,12,400/-).			
	on	Ministerial.				
	workload					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two	(i) Promotion	Promotion:	Group 'B' Departmental	Not
applicable.	Years	failing which	Stenographer in the level 4 in	Promotion Committee (for	applicable.
		by deputation;	the pay matrix Rs. 25,500-	considering promotion) consisting	
		and	81,100/- with ten years of	of:	
		(ii) For Armed	regular service in the grade.		
		Forces		1. Scientist 'F', STQC Directorate	
		Personnel:	<b>Note:</b> Where juniors who	M/o Electronics and Information	
		Deputation/Re-	have completed their	Technology	
		employment	qualifying or eligibility	-Chairman;	
			service are being considered		
			for promotion, their seniors	2. The Joint Director or equivalent	
			would also be considered	level officer of STQC Directorate,	
			provided they are not short	M/o Electronics and Information	
			of the requisite qualifying or	Technology	
			eligibility service by more	-Member;	
			than half of such qualifying	2 71 11 1 9 4 /5 4	
			or eligibility service or two	3. The Under Secretary/Deputy	
			years, whichever is less, and	Director from a Ministry or a	
			have successfully completed probation period for	Department other than STQC Directorate	
			1	-Member.	
			promotion to the next higher grade along with their juniors	-Member.	
			who have already completed	Group 'B' Departmental	
			such qualifying or eligibility	Confirmation Committee (for	
			service.	considering confirmation)	
			Scr vice.	consisting of:	
				Consisting of.	

D ( )	(1) G : 4:4 (F) GTOC	
Deputation:	(1) Scientist 'F', STQC Directorate, M/o Electronics and	
Officers of the Central	Information Technology	
Government or State	-Chairman;	
Government -		
(i) holding analogous post	(2) The Joint Director or	
on regular basis in the	equivalent level Officer, STQC	
parent cadre or	Directorate, M/o Electronics and	
Department; or	Information Technology	
(ii) Stenographer or	-Member;	
equivalent in level-4 in the	(2) 77 11 1 2 1 7	
pay matrix (Rs. 25,500-	(3) The Under Secretary/Deputy	
81,100) with ten years of	Director from a Ministry or a	
regular service in the	Department other than STQC Directorate	
grade or equivalent in the parent cadre or	-Member.	
Department.	-Member.	
Department.		
Note 1: Period of deputation		
including period of		
deputation in another ex-		
cadre post immediately		
preceding this appointment is		
the same or other		
organisation or department		
of the Central Government		
shall ordinarily not to exceed		
three years.		
Note 2: The maximum age		
limit for appointment on		
deputation shall not be		
exceeding fifty-six years as		
on the closing date of receipt		
of applications.		
For Armed Forces personnel		
: Deputation/re-employment		
The Ammed Foregon more1		
The Armed Forces personnel due to retire or who are to be		
transferred to reserve within		
a period of one year and		
having requisite experience		
and qualifications prescribed		
shall also be considered.		
Such persons shall be given		
deputation terms up to the		
date on which they are due		
for release from the Armed		
Forces, thereafter they may		
be continued on re-		
employment.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Junior Hindi	6* (2020)	General Central	Level-6 in the	Not	30 years	Master's degree of a
Translator	*Subject to	Service Group	pay matrix (Rs.	applicable.	(Relaxable for	recognised University in
	variation,	B Non-	35,400-		Government	Hindi with English as a
	dependent	Gazetted -Non-	1,12,400/-)		Servants upto	compulsory or elective
	on	Ministerial.			five years in	subject or as the
	workload				accordance	medium of examination
					with the	at the degree level
					instructions or	or
					orders issued	Master's degree of a
					by the Central	recognised University in
					Government)	English with Hindi as a
						compulsory or elective
					Note 1: The	subject or as the

crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or the Union territory Lakshadweep.

medium of examination at the degree level or Master's degree of a

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi Medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level;

or
Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level;

Or
Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level;

Recognized Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years' experience of translation work from

and

of translation work from
Hindi to English and
vice versa in Central or
State Government
office, including
government of India
Undertaking.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission / Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: qualifications(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or

			Scheduled Tribes if at
			any stage of selection,
			the SSC/Competent
			Authority is of the
			opinion that sufficient
			number of candidates
			from these communities
			possessing the requisite
			experience are not likely
			to be available to fill up
			the vacancy reserved for
			them

deputation.  Central Government or State Government (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) With six years of regular service in the post in the level 5 in Pay Matrix (Rs. 29,200-92,300/-) or equivalent. (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7)  Note 1 : Period of deputation in another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the				them	cy reserved for
Not applicable.  Two applicable.  Direct Recruitment failing which by deputation.  Deputation:  Officers under the Central Government or State Government (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) With six years of regular service in the post in the level 5 in Pay Matrix (Rs. 29,200-92,300/-) or equivalent.  (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7)  Note 1: Period of deputation in another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the		<u>.</u>	<u> </u>	·	
applicable. Years.  failing which by deputation.  Officers under the Central Government or State Government or State Government (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) With six years of regular service in the post in the level 5 in Pay Matrix (Rs. 29,200-92,300/-) or equivalent.  (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7)  Note 1: Period of deputation in another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the	(8) (9)	(10)	(11)	( )	(13)
Central Government shall ordinarily not to exceed three years.  Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.  For Ex-serviceman: Deputation/re-employment  The Armed Forces	Not Two	Direct Recruitment failing which by	Deputation: Officers under the Central Government or State Government (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) Wi th six years of regular service in the post in the level 5 in Pay Matrix (Rs. 29,200-92,300/-) or equivalent. (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7)  Note 1: Period of deputation in another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.  Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.  For Ex-serviceman: Deputation/re-employment	(12)  Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:  (1) Scientist 'F', STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology  -Chairman;  (2) The Joint Director or equivalent level Officer, STQC Directorate, M/o Electronics and Information Technology  -Member;  (3) The Under Secretary/Deputy Director from a Ministry or a Department other than STQC Directorate	(13)

	1 110	
	and qualifications	
	prescribed shall also	
	be considered. Such	
	persons shall be given	
	deputation terms up to	
	the date on which they	
	are due for release	
	from the Armed	
	Forces, thereafter they	
	may be continued on	
	re-employment.	

			re-employme	111.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Library and	2* (2020)	General Central	Level-6 in the	Not	Not exceeding	Essential:
Information	*Subject to	Service Group	pay matrix Rs.	Applicable.	30 years	(i) Bachelors Degree in
Assistant	variation,	'B' Non-	35400-	ipplicable.	(Relaxable for	Library Science or Library
Assistant	dependent	Gazetted –Non-	112400/-		Government	and Information Science of
		Ministerial.	112400/-			
	on	lviinisteriai.			Servants upto	a recognized
	workload				five years in	University/Institute;
					accordance	(ii) Two years' professional
					with the	experience in a Library
					instructions or	under Central/State
					orders issued	Government/Autonomous
					by the Central	or Statutory
					Government).	organization/PSU/
					Note: The	University or recognized
					crucial date for	research or educational
					determining	institution.
					the age limit	
					shall be the	Desirable:
					closing date	Diploma in Computer
					for receipt of	Application from a
					application	recognised University or
					from	Institute .
					candidates in	
					India (and not	Note 1: Qualifications are
					the closing	relaxable at the discretion of
					date prescribed	the Competent Authority in
					for those in	the case of candidates
					Assam,	otherwise well qualified or
					Meghalaya,	reasons to be recorded.
					Arunachal	Note 2: The
					Pradesh,	qualifications(s) regarding
					Mizoram,	experience is/are relaxable
					Manipur,	at the discretion of the
					Nagaland,	Competent Authority in the
					Tripura,	case of candidates
					Sikkim, Union	belonging to Scheduled
					territory of	Castes and Scheduled
					Ladakh,	Tribes if, any stage of
					Lahaul and	selection, the competent
					Spiti District	Authority is of the opinion
					and Pangi Sub-	that sufficient number of
					Division of	
					Chamba	communities possessing the
					District of	requisite experience are not
					Himachal	likely to be available to fill
					Pradesh,	up the vacancies reserved
					Andaman and	for them.
					Nicobar	ioi tiiciii.
					Islands or the	
					Union territory	
					_	
					of	
	1				Lakshadweep.	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two	Direct	Deputation :	Group 'B' Departmental	Not
applicable.	Years.	Recruitment	- <b> </b>	Confirmation Committee (for	applicable.
11		failing which	Officers under the Central	considering confirmation)	11
		by Deputation.	Government or State	consisting of:	
			Government/Union		
		For Armed	territories/Public Sector	(1) Scientist 'F', STQC	
		Forces	Undertaking /Autonomous	Directorate, M/o Electronics and	
		Personnel:	Organizations-	Information Technology	
		Deputation/re-	(a) Holding analogous	-Chairman;	
		employment	posts on regular basis; or		
			(b) With six years of	(2) The Joint Director or	
			regular service in Level 5 in Pay Matrix (Rs. 29,200-	equivalent level Officer, STQC Directorate, M/o Electronics and	
			92,300/-) or equivalent.	Information Technology	
			(c) Possessing the	-Member;	
			educational qualifications	Wiemoer,	
			and experience prescribed	(3) The Under Secretary/Deputy	
			for direct recruits under	Director from a Ministry or a	
			Column (7)	Department other than STQC	
				Directorate	
				-Member.	
			Note 1 : Period of		
			deputation including period		
			of deputation in another ex-		
			cadre post held immediately preceding this appointment		
			in the same or other		
			organisation / department of		
			the Central Government shall		
			ordinarily not to exceed		
			three years.		
			Note 2: The maximum age		
			limit for appointment on		
			deputation shall not be		
			exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt		
			of applications.		
			or applications.		
			For Armed Forces personnel		
			: Deputation/re-employment		
			The Armed Forces personnel		
			due to retire or who are to be		
			transferred to reserve within		
			a period of one year and having requisite experience		
			and qualifications prescribed		
			shall also be considered.		
			Such persons shall be given		
			deputation terms up to the		
			date on which they are due		
			for release from the Armed		
			Forces, thereafter they may		
			be continued on re-		
			employment.		

[F.No. 2(6)/2018-PA(TB)]

ARVIND KUMAR, Director General STQC Directorate